न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक उमाचरण शर्मा वगैरह ....प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष सुधीर कु० राम ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....188........सन् 2021

धारा 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16/08/21	आवेदक विष्णु उमाचरण शर्मा, पे० पतरू राना, ग्राम - सिमराढाब थाना - बिरनी - जिला - गिरिडीह द्वारा द० प्र० सं० की धारा 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा सिमराढाब, खाता सं०- 59, प्लॉट सं०- 73, रकबा - 1.33 एकड़ चौ० उ०- द्वितीय पक्ष का मकान द०- स्व० बाबुलाल राम की जमीन प्लॉट सं० 73, पू०- प्रथम पक्ष की जमीन व प्लॉट सं० 73, प०- सरिया-धनवार रोड में भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी बिरनी से माँगे। अभिलेख दिo- 26/08/21 को रखें। लेखापित एवं संशोधित	26/8/21 16/08/21

26/08/21 अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी/ थाना प्रभारी बिरनी से अप्राप्त है। अभिलेख 23/09/21 को रखें।

अनु० दं०प्र०

23/09/21 अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी बिरनी से अप्राप्त है। अभिलेख 8/10/21 को रखें।

अनु० दं०पदा०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21/10/21	अभिलेख उपस्थापित। मैं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी बिरनी के पत्रांक 912 दिनांक 05/10/21 के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 28/10/21 को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया।	
28/10/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अभिलेख 18/11/21 को रखें।	

आदेश और तारीख		टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18/11/21	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष वकालतन हाजिर है। s/c दाखिल करें। To 25/11/21 [signature] 18/11	
25/11/21	द्वितीय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा s/c दाखिल। To 9/12/21 [signature] 25/11 अनु० प०जा०	
09/12/21	उभय पक्ष वकालतन हाजिर है। To 16/12/21 [signature] 9/12 अनु० प०जा०	
16/12/21	उभय पक्ष वकालतन हाजिर है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उभय पक्ष आपसी कर अपना विवाद सुलझाना चाहते हैं। अतः उभय के आवेदन को स्वीकार करते	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	हुये भूमि नापी हेतु अंचल अधिकारी बिहटा के निकट आवेदन दाखिल करने का आदेश दिया जाता है। उक्त विवेचन के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। [signature] 16/11	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.12.22 13:08:11 +05:30
Location: 192.168.43.238